



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 मई, 2008

(23 वैशाख, 1930 शक )

### विधायी परिशिष्ट

| क्रमांक | विषय वस्तु                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भाग-I   | अधिनियम<br>कुछ नहीं                                                                                                                                                                                                             |         |
| भाग-II  | अध्यादेश<br>कुछ नहीं                                                                                                                                                                                                            |         |
| भाग-III | प्रत्यायोजित विधान<br>अधिसूचना संख्या का० आ० 41/ह० अ० 6/2003/घा० 59/2008,<br>दिनांक 13 मई, 2008, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003<br>(2003 का 6) से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में संशोधन।<br>(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) | 427—428 |
| भाग-IV  | शुद्धि परिचियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन<br>कुछ नहीं                                                                                                                                                                       |         |

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2008

संख्या का० आ० 41/ह० अ० 6/2003/घा० 59/2008.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 2/ह०अ० 6/2003/ घा० 59/2008, दिनांक 13 मार्च, 2008, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल. इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

- (i) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी तथा प्रथम जनवरी, 2006 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

“4. जीव आहार अर्थात् जलीय जीव आहार, कुक्कट आहार तथा पशु आहार (किन्तु इसमें क्षतिग्रस्त गेहूं शामिल नहीं है), जिसमें शामिल है इन आहारों के अनुपूरक, सान्द्र तथा योज्य, दालों का मूसा और डीआयल्ड केक (जिसमें डीआयल्ड राइस ब्रॉन शामिल है )।”;

- (ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 98 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी तथा प्रथम जनवरी, 2006 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

“98. मैदा तथा सूजी सहित गेहूं का आटा, चावल का आटा, चने का आटा, बेसन, जौ घाट, जौ का आटा तथा सत्तू, गेहूं या जौ का दलिया, क्षतिग्रस्त गेहूं, राजमा, लोबिया, रौंगी, सेगो (साबू दाना), सोयाबीन मील तथा सोयाबीन का आटा।”।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorized English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 13th May, 2008

**No. S.O. 41/H.A. 6/2003/S. 59/2008.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web. 2/H.A. 6/2003/S. 59/2008, dated the 13th March, 2008, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules B and C appended to the said Act, namely :—

**Amendment**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),—

- (i) in Schedule B, for serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2006, namely :—

“4. Animal feed, that is to say, aquatic feed, poultry feed and cattle feed (but not including damaged wheat) including supplements, concentrates and additives to these feeds, husk of pulses and de-oiled cake (including de-oiled rice bran).”;

- (ii) in Schedule C, for serial number 98 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2006, namely :—

“98. Wheat atta including maida and sooji, rice flour, gram flour, besan, barely ghat, barely flour and sattu, dalia of wheat or barely, damaged wheat, rajmah, lobia, rongi, sago (sabudana), soyabean meal and soyabean flour.”.

**RAMENDRA JAKHU,**

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.